


प्रमाण-पत्र

ब्रह्मानन्द एजुकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट न्यू दिल्ली द्वारा क्रय की गयी भूमि स्थित ग्राम मचकौली के खाता न०-81 खेत न० 198/0.410 है० खाता न० 07 खेत न० 199/0.216 है० व खाता न०-6 खेत न० 200/0.409 है० व खाता न० 5 खेत न० 202/1.067 है० तथा ग्राम तुनहरा के खाता न० 130 खेत न०-99/1.7390 है० व खाता न० 80 खेत न० 319 व 320/0.281 का बकदर भाग तहसील बुलन्दशहर व जिला बुलन्दशहर में स्थित भूमि को जमीन विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित किया जा चुका है। जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में अंकित है। प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त भूमि शिक्षा हेतु उपयोग की जानी है। उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

अतः संस्था को उक्त भूमि शैक्षिक भू उपयोगार्थ हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

दिनांक:- 29-07-2009

  
राजवीर सिंह  
उप जिलाधिकारी  
बुलन्दशहर।

